International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महिलाओं के लिए विधिक प्रावधान

नरेन्द्र सिंह
शोध छात्र
दर्शन शास्त्र विभाग
सीद्धो–कान्हू विश्वविद्यालय दुमका

'यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता' (जहाँ स्त्रियां पूज्य है, वहाँ देवता निवास करते है) की मान्यता वाले अपने देश में महिलाओं की दशा और दिशा में प्रयासो के बावजूद सार्थक सुधार न होगा चिंताजनक है। पुरूष की जन्मदात्री स्त्री पुरूष से उच्च है। किन्तु पितृ सत्तात्मक समाज में उसका सामाजिक आर्थिक ओर वैधानिक आधार सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता।

अपने देश में महिलाओं का सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिये अधिनियम और कानून बनाये जाते रहे हैं। किन्तु उनका क्रियान्वयन और उनकी समाज द्वारा स्वीकृति सन्तोषजनक नहीं रही। महिलाओं की समाजिक अक्षमताओं का अति अल्प हिस्सा ही सुधारवादी विधिक प्रावधानों से नियन्त्रित हो पाया है। परम्परागत जीवन के विरूद्ध विधिक प्रावाधानों की व्यवस्था में प्रगति धीमी रही है।[2]

उक्त पृष्ठभूमि में महिलाओं को संरक्षण देने वाले विधिक प्रवधानों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इन प्रावधानों से उनके सामाजिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का सैद्धान्तिक अध्ययन किया

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

गया है। विधिक प्रावधानों में संशोधन एवं उनके सार्थक क्रियान्वयन हेत सुझाव भी दिये गये है।

चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971

महिला जब से भ्रूण रूप में गर्भ में होती है तब से उसे लिंग आधारित ; ळतदकमत ईंमकद्ध उपेक्षा एवं विभेद का सामना करना पड़ता है। भ्रूण लिंग परीक्षण ; च्तमदंजंस ` मग कमजमतउपदंजपवद जमेजद्ध से ज्ञात होने पर कि गर्भ में बालिका विकसित हो रही है, उक्त प्रवधान का सदुपयोग सुनिश्चित करना वर्त्तमान की ज्लवन्त आवश्यकता है। इस अधिनियम के दुरूपयोग से लिंगानुपात पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। प्रो. एम. के. प्रेमी. जे. एन. यू. नई दिल्लीने एक शोध पत्र में आशंका जाहिर की है कि पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी कन्या के जन्म के उपरान्त भी कुपोषण और उपेक्षा का शिकार होकर काल कवलित होती है।[3] ज्ञात्वय हो कि माहाराष्ट्र सरकार ने 1998 में गर्भस्थ शिशुका लिंग परीक्षण अवैधानिक घोषित कर दिया। अन्य राज्यों में भी इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।

विवाह एवं तलाक

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत एक मुसलमान नागिरक चार पत्नियों का पति हो सकता है। किन्तु 1950 से हिन्दू एक समय में एक से अधिक महिला का कानूनी पति नहीं हो सकता। किन्तु हिन्दू विधि के अनुसार जीवित पत्नी के रहते दूसराविवाह करने वाले पति के विरूद्ध केवल पत्नी ही अभियोग चला सकती है। पत्नी की आर्थिक विवशता एवं सामाजिक अक्षमताओं के कारण इस प्रकार का दूसरा विवाह रचाने वाले पति कानून की पकड़ से दूर ही रहते है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मूसलमान पति अपनी पत्नी को इच्छा से एक तरफा तलाक दे सकता हैं निकट संबंधी से जारकर्म में लिप्त ईसाई पति से दो पत्नी रखता है। मुस्लिम और ईसाई में आपसी सहमति से तलाक संभव नहीं हैं जबकि हिन्दूओं में इसका प्रावधान है।

पाक सर्वेच्च न्यायालय ने पिछले दिनों अहम् फैसला दिया कि अनायास या बलात् तीन बार 'तलाक' कहना अथवा विवाह पाकिस्तान के विधि विदों को स्वीकार नहीं है। बांग्लादेश की तरह ईरान, मोरक्को, सीरिया, ईराक, इण्डोनेशिया, दक्षिणी यमन, मलेशिया, अल्जीरिया, सोमालिया, जार्डन व अन्य कई देशों में बहु विवाह का निषेध करते हुए अपने कानूनों में रद्दोबदल किया है। फिर भारत को इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिये।[4] बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद लड़कियों की औसत विवाह आयु 15 वर्ष है जो विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से कम है।

पारिवारिक उत्पीड़न का विधिक मान्यता

भारतीय दण्ड संहिता के सेक्सन 498ए (द्वितीय संशोधन 1983)[5] घरेलू मारपीट और उत्पीड़न को मान्यता देते हुए पति तथा उसके संबंधियों की पत्नी के प्रति क्रूरता को अपराध मानता है। किन्तु देखा जाता है केवल बहुएं ही क्रूरता का शिकार नहीं होती बल्कि बेटिया भी बाप के घर में तरह–तरह के उत्पीड़न को सहती हैं एक अध्ययन के अनुसार बृहत्तर मुम्बई में जलकर मरने वाली महिलाओं में 61.3 प्रतिशत महिलायें 15 से 19 वर्ष की अविवाहितायें होती है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जारकर्म ;।कनसजमतलद्ध में लिप्त पति की पत्नी को विधिक संरक्षण नहीं

भारतीय दण्ड संहिता का सेक्सन 497[7] पति को पत्नी से शरीरिक संबंध स्थापित करने वाले पुरूष पर अभियोग चलाने के लिए अधिकृत करता है। किन्तु यह सेक्सन किसी अन्य स्त्री पर अभियोग चलाने का अधिकार नहीं देता। स्पष्ट है कि यह सेक्सन पति और पत्नी में विभेद करता है। इस सेक्सन का परीक्षण अति आवश्यक है।

बच्चों पर अधिकार–माता के केवल अभिरक्षक

हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956[8] में प्रावधान है। कि पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों का प्राकृतिक संरक्षक पहले पिता है और उसके पश्चात माता का स्थान आता है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रकरण में माता को उनकी अभिरक्षा दी जा सकती है। किन्तु यह भी आवश्यक नहीं है। यह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर रहती है।

गोद अधिकार

हिन्दू अव्यस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956[9] का अनुच्छेद 32 केवल हिन्दुओं को गोद लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अधीन गोद लेने वाले के लिएपत्नी की सहमति आवश्यक है। अन्य धर्मो के विवाहित युगल को गोद लेने का अधिकार नहीं है। उनको संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

सम्पति का अधिकार

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पिता की सम्पति में पुत्रियों को भी समान हिस्से का प्रावधान करता है। इस अधिनियम का अनुच्छेद 14 सम्पति का पूर्ण अधिकार महिलाओं को प्रदान करता

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

है। फिर भी महिलायें सहखातेदार की हैसियत से बंटवारे के लिये आवेदन नहीं कर पाती है।

मुस्लिम और पारसी महिलाओं को भी कुछ सम्पति अधिकार प्राप्त है। किन्तु भाईयों के बराबर नहीं भाई की तुलना में बहन आधा हिस्सा प्राप्त करती है।

स्त्रियों के व्यक्तिगत गृहकार्य को वैज्ञानिक मान्यता नहीं

व्यक्तिगत कानून और लोक विधि स्त्रियों के गृह कार्य ; भ्वनेम भ्वसकद्ध ॅवताद्ध को मान्यता नहीं देते। अतः तालाक होने पर महिला को पति की सम्पति में हिस्सा नहीं मिलता है। तलाकशुदा महिला बिना हिस्सा, घर, आय और सुरक्षा के भटकन की स्थिति में आ जाती है। यहाँ तक कि उसे स्त्रीधन भी नहीं मिल पाता, जब कि उसे स्त्री धन प्राप्त करने का अधिकार है। पति स्त्रीधन का अभिरक्षक होता है। मालिक नहीं।

महिला वर्ष 1975 का विशेष उपहार समान काम के लिये समान वेतन अधिनियम 1967 महिला श्रमिकों के लिये लाभकारी –

हर नया कानून लागू होने के बाद श्रमिक महिलाओं के रोजगार में गिरावट आई। मालिक उन्हें वे सुविधायें देने के बजाय महिला श्रमिकों की भर्ती से कतराने लगे।

उपरोक्त समस्यायें के महत्वपूर्ण सुझााव

1. भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक देश के सभी भागों में होना चाहिये।
2. सम्पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिये।
3. विवाह का पंजीयन अनिवार्य किया जाना चाहिये। स्त्रीधन अभिलिखित होना चाहिये।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पंजीयन से बाल विवाह पर रोक लगेगी। पंजीयन के समय ही पति या पति के पिता/
निकट संबंधी को अपनी समपति की घोषणा करनी चाहिये तथा सम्पति में पति के हिस्से में
पत्नी को सहभागी तत्काल बनाया जाना चाहिये।

4. विवाहोपरान्त पति या पत्नी के द्वारा विकसित सम्पति में दोनों का अधिकार पंजीकृत होने चाहिये किन्तु पति या पत्नी को बंटवारा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

5. पितृ गृह में भी पुत्री को यातना दण्डनीय अपराध होना चाहिये।

6. पति के जारकर्म में लिप्त पर पत्नी को वाद कायम करने का अधिकार होना चाहिये, साथ ही यह तालाक के आधार होना चाहिये।

7. विधिक साक्षरता का विस्तार किया जाना चाहिये।

संदर्भिका

1. व्होरा आशारानी–भारतीय नारीः दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई
दिल्ली–110002,1983.

2. UNICEF-Regional Office for South Central Area New Delhi – An Analysis of the Situation of Children in India (Report), 1984. P . 78

3- Premi M.K. Female Infauticide and Child Neglect As Forcible Reasons for Low Sex-Ratio in the Punjab 1881-1991 in Population Gegoraphy volume16 June-Dec. 1984 Association of Population Geography Chandigarh.

4. अली जीनत शौकत प्राध्यापक इस्लामी अध्ययन सेंट जैवियर्स कॉलेज मुम्बई का लेख

दैनिक जागरण–झांसी दिनांक 27.8.97

5. प्रकाश चन्द्र : दण्ड न्यायालय संग्रह–सेंट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 1980 पृ. 119.

6- Report of the core group set up by the Deptt. Of women and Child Development,

Ministry Of Human Resource Devlopment, Gov. of India 1988

7. प्रकाश चन्द्र : दण्ड न्यायालय संग्रह इलाहाबाद, 1980

8. व्होरा आशारानी–भारतीय नारीः दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली–110002,1983.

9. तदैव।